आगरा विकास प्राधिकरण

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांकः—1416/बी0एफ0एच0/02/07—08 दिनांकः—25/06/2022

प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता(भवन)
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री गनेश चन्द अग्रवाल,
सचिव—पावन सहकारी आवास समिति लि0
पुष्पांजलि पैलेस, देहली गेट,
आगरा।

विषयः—स्वीकृत मानचित्र सं0—1416/बी0एफ0एच0/02/07—08 पुष्पांजलि हाईट्स मौजा—मऊ, आगरा के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में आपके द्वारा स्वीकृत मानचित्र की वैधता अवधि के सम्बन्ध में किए गये आवेदन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग योजना का मानचित्र दिनांक 03.02.2014 को स्वीकृत किया गया था। मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल एप्लीकेशन सं0—145/2015 श्री डी0के0जोशी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.06.2015 द्वारा उक्त योजना में निर्माण आदि पर लगायी गई रोक एवं पुनः मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2019 के क्रम में उक्त योजना में डूब क्षेत्र से प्रभावित 447.95 वर्गमी0 भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया है। इस प्रकार मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों से प्रभावित उक्त अवधि को शून्य मानते हुए तथा कोविड—19 के कारण शासनादेश के अनुसार 09 माह की अतिरिक्त समयवृद्धि प्रदान किये जाने के अनुरोध पर शासनादेश सं0—693/आइ—3—2020—21 विविध/13 टी.सी. दिनांक 01.07.2020 के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.06.2022 द्वारा योजना की वैधता दिनांक 05.08.2024 तक प्रदान की गई है। मा0राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा उक्त एप्लीकेशन में पारित समस्त आदेशों का आपको अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा डूब क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र पर किसी प्रकार का निर्माण/अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। अवशेष शुल्क की धनराशि ब्याज सहित तीन माह के अन्तर्गत प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।

भवदीय

अधीक्षण अभियन्ता(भवन)

प्रतिलिपिः—

सचिव, उ0प्र0 भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ को सूचनार्थ।

अधीक्षण अभियन्ता(भवन)

04/07/2022

SR LETTER-01